रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082021-229249
CG-DL-E-26082021-229249

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3204] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 2021/भाद्र 3, 1943
No. 3204] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 2021/BHADRA 3, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2021

का.आ. 3494 (अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य असम के कामरूप (महानगर) जिले में गुवाहाटी शहर के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित है और राज्य में एकमात्र रामसर स्थल है, जो असम की सबसे बडी मीठे पानी की झीलों में से एक है, जो कि ग्रीष्म ऋतु में 30 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है और शीत ऋतु में लगभग 10 वर्ग किलोमीटर तक कम हो जाती है जिसमें से 4.1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल सरकारी

अधिसूचना सं. एफआरएम 140/2005/260, तारीख 21 फरवरी, 2009 के अनुसार वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है;

और, दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य की आर्द्रभूमि जलीय वनस्पति और पक्षियों के लिए अद्वितीय वास स्थल है। अभयारण्य में लगभग 150 पक्षियों की प्रजातियां अभिलिखित की गई है, इनमें से बील में दो गंभीर रूप से लुप्तप्राय, एक लुप्तप्राय, पांच अतिसंवेदनशील और चार संकटापन्न प्रजातियां पाई जाती है। हाथी नियमित रूप से निकटवर्ती रानी और गरहभंदा रिज़र्व वन से आर्द्रभूमि में आते हैं और आर्द्रभूमि हाथी पर्यावास का महत्त्वपूर्ण भाग है। इसके अलावा, अभयारण्य में जलीय माइक्रो-बायोटा की 155 प्रजातियों के साथ-साथ सरीसृपों की 12 प्रजातियां, मछलियों की 50 प्रजातियां, उभयचरों की 6 प्रजातियां आदि अभिलिखित की गई हैं;

और, दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य तेजी से विकसित हो रहे गुवाहाटी शहर के निकट होने के कारण, दीपोर बील मानव बस्तियों और यहां तक कि बढ़ते विकास क्रियाकलापों के कारण अत्यधिक जैविक दबाव का सामना कर रहा है। शहरी अपशिष्ट के साथ-साथ औद्योगिक बहिस्राव समृद्ध आर्द्रभूमि के पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय मूल्यों के लिए गंभीर समस्या पैदा करता है, जो दीपोर बील में सभी जीव रूपों और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा पैदा करता है। गुवाहाटी गोपालपाढ़ा रेलवे-ट्रैक जो वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण से होते हुए जाता है और दीपोर बील के जल–विभाजक क्षेत्रों का अवक्रमण भी जल निकाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मानव बस्ती, बील के चारों ओर चल रहे विभिन्न विकासात्मक क्रियाकलापों और जल विभाजक क्षेत्रों में वास स्थान का विनाश इस महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि, जिसे दीपोर बील कहा जाता है, की प्राकृतिक पर्यावरणीय स्थिति को बनाए रखने में गंभीर खतरा है;

और, दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य में स्तनधारियों की प्रजातियों में हिमालयन होरी बेल्लिद गिलहरी (*कैल्लोस्सिरूस पाइगेरिथ्रस),* हाउस श्रेव (*सुंकस मुरिनस*), पिगमय श्रेव (*सुंकस एट्रस्कस*), लार्ज बंदिकोटा-रेट (*बंदिकोटा इंडिका*), लेस्सेर बंदिकोटा रेट (*बंदिकोटा बेंगालेंसिस*), ब्लैक रैट (*रत्तुस रत्तुस*),चीनी साही (*हिस्ट्रीक्स ब्राच्युरा*), भारतीय खरगोश (*लेपुस निगरीकोल्लिस*), भारतीय हाथी (*एलिफस मैक्सीमस*), मुंजक(*मुन्टिएक्स मुन्तजक*), सांभर (*रुसा यूनीक्लोर*), भारतीय फ्लाइंग लोमडी (*पटेरोपस गिगेंटेउस*), लांग-विंगटु टोम बेत (*टफोजोस लॉंगिमानस*), रीसस मकाक (*मकाका मुलाट्टा*), एशियाई सियार *(कैनिस ऑरियस),* सामान्य ओट्टेर (*लुतरा लुतरा*), लार्ज भारतीय सिवेट (*विवेर्रा जिबेथा*), छोटा भारतीय सिवेट (*विवेर्रीकुला इंडिका*), भारतीय नेवला (*हेर्पेस्टेस जवानिकस*), आदि पाई जाती है;

और, दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य से संकटापन्न पक्षियों में वाइट रुमपैड गिद्ध (*जिप्स बेंगालेंसिस),* लांगबिल्लेड गिद्ध (जी. *इंडिकस),* ग्रेटर एडजुटेंट *(लेपटोपटीलोस दुबिउस),* स्पोटबिल्लेड पेलिकन (*पेलेकनुस फिलिप्पेंसिस),* लेस्सेर एडजुटेंट स्ट्रॉक (*लेप्टोप्टिलोस जवानिकस),* पल्लास सी ईगल (*हलियाटुस लेउकोरफुस),* फुल्वस व्हिसलिंग टील (*डेंड्रोसाइगना बाइकलर),* बेयर्स पोचार्ड (*अयथया बैरी),* मार्श बब्बलेर *(पेल्लोरनेइयम पलाउस्ट्रे),* स्पूनबिल्लेड सैंडपाइपर (*यूरिनोरिनचूस पाइगमेउस),* ओरियंटल डार्टेर *(एंहींगा मेलानोगस्टेर);*ब्लैक-नेक्केड स्टोर्क (*इफिप्पीओरिनचुस एशियाटिक्स),* फेरूगिनेउस बत्तख (*एयथया नयरोका),* ग्रे हेडेड फिश ईगल (*इचथ्योफागा इचथ्येतुस),* रेड हेडेड गिद्ध (*सरकोगयप्स कलवुस),* पैल्लिड हैरियर (*सर्कस मैक्रोररूस),* ब्लैक-बेल्लिड ट्रर्न *(स्टर्ना एक्यूटिकुडा),* रेड-हेडेड गिद्ध (*सरकोगयपस कल्वुस),* आदि अभिलिखित किए गए है; जबकि अभयारण्य के लुप्तप्राय सरीसृपों में बर्मीज पायथन (*पायथन मोलुरूस बिविट्टाटुस),* यल्लो मॉनिटर लिर्जाड (*वारानस फलावेस्केंस),* भारतीय रुफेड़ कछुआ (*कचुगा टेक्टा),* खासी पहाडी टेर्रापिन (के. *(पंगशुरा) सिल्हेटेंसिस),* स्पोट्टेड ब्लैक (पोंड) कछुआ *(जियोस्लेमयस हमिल्टोनी),* भारतीय मुद (फ्लैपशेल) कछुआ (*लिस्सेमयस पुंकटाटा),* मोर सोफ्टशेल कछुआ (*टरिओनिक्स (निलस्सोनिया) हुरूम),* गंगेस (भारतीय) सॉफ्ट-शेल कछुआ *(ट्रिनिक्स गैंगेटिकस),* आदि हैं;

और, दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य उभयचरों में *हायलाराना टयटलेरी, हायलाराना टैपेहेंसिस, हपलोब्टराचुस टिगेरीना, यूफलयकटिस स्यानोफीलेक्टेस, सायलविराना लेप्टोगलोसुस, फेजेरवाराया पिइर्रेइ, एफ.* सीहाड्रेनसिस, *एफ. टेराइ मायचरोहयला ओरनाटे, पोलयपेडटुस लेउकोम्यस्टेट, भैंस (दुत्तापहरयनुस) मेलानोस्टीक्टुस,* आदि पाए जाते हैं; जबकि अभयारण्य में महत्त्वपूर्ण संकटापन्न मछली प्रजातियों में भांगोन (*क्रिहीनस रेबा*), फुल डोरीकोना (जेबरा मछली) (*ब्राचिडानिया रारीओ*), वेधेंगी/वेतकी मछली (*नंदुस नंदुस*), एलेंग (*रासबोरा एलेंगा*), रूकमोई चेन्गा (*चन्ना बरका*), पभा (*ओम्पोक बिमाकुलाटस*), पाभा (*ओम्पोक पाबडा*), बोटिया (*बोटिया डारी*), आदि पाई जाती है;

और, दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य के कामरूप (महानगर) जिले में दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 294 मीटर से 16.32 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 294 मीटर से 16.32 किलोमीटर तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 148.9767 वर्ग किलोमीटर है।

(2) दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **अनुलग्नक–IIक** और **अनुलग्नक –IIख** के रूप में संलग्न है।

(4) दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू- निर्देशांकों की सूची **अनुलग्नक-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत कोई ग्राम नहीं है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) पर्यटन;

(iv) कृषि;

(v) नगरपालिका;

(vi) राजस्व;

(vii) लोक निर्माण विकास;

(viii) शहरी विकास;

(ix) ग्रामीण विकास;

(x) जल संसाधन विभाग;

(xi) सिंचाई;

(xii) बागवानी;

(xiii) पंचायती राज; और

(xiv) असम प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा के साथ निर्धारण किया जाएगा और योजना में मौजूदा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देते हुए मानचित्रों को भी दर्शाया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध पैराग्राफ 4 में प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर ऊपर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत किया जाएगा जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) पैराग्राफ-4 में उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और

अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुमत नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल निकाय.**- सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया जा सके जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हो।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुमत होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगाः

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुमत नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में शोधित बहिस्राव का निस्सरण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुमत किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **वाहन-यातायात.-** वाहन-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहन-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 द्वारा जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों जिसमें तटीय विनियमन जोन, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं. **(1)**	**क्रियाकलाप** **(2)**	**टिप्पणी** **(3)**
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन, मृदा उत्खनन, रेत खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगीः परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सरण।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों, विनियर मिलों एवं अन्य, काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमत नहीं होगा। परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में 100% आयातित काष्ठ स्टाक उपभोग करने वाले नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना की जा सकेगी।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।

ख.विनियमित क्रियाकलाप		
9.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिर्सोटो की स्थापना अनुमत नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
10.	पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए टेंट, लकड़ी के घरों आदि जैसे पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पर्यावरण के अनुकूल कुटीर।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
11.	होटलों और लॉज के मौजूदा परिसर की बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
12.	निर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए निर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित निर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
13.	गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी, समय-समय पर यथा संशोधित उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
16.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा) होगा।

17.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण उपाय किए जाएंगे।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
21.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
22.	कृषि व्यवस्था में स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
23.	सुरक्षा बल शिविर या सेना प्रतिष्ठान।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
25.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल बहिर्स्राव का निस्सरण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सरण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे। उपचारित अपशिष्ट जल बहिर्स्राव का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
26.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक का निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
30.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
31.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
32.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
33.	नदियों और प्राकृतिक जल निकायों में मछली पकड़ना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
34.	वर्षा जल संचय ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा।
36.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

37.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	वनस्पति की बाड़।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
43.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
44.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
45.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
46.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:

क्र.सं.	**निगरानी समिति का गठन**	**पद**
(i)	उपायुक्त, कामरूप (मेट्रो)	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	संभागीय वन अधिकारी, कामरूप (पूर्व)	सदस्य;
(iii)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों (विरासत संरक्षण सहित) का प्रतिनिधि असम सरकार द्वारा नामित	सदस्य;
(iv)	गुवाहाटी नगर निगम का प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	क्षेत्रीय अधिकारी, असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण कामरूप (मेट्रो)	सदस्य;
(vi)	क्षेत्र के वरिष्ठ नगर योजनाकार	सदस्य;
(vii)	जिला उद्योग अधिकारी, कामरूप (मेट्रो)	सदस्य;
(viii)	जिला कृषि अधिकारी, कामरूप (मेट्रो)	सदस्य;
(ix)	जिला मत्स्य अधिकारी, कामरूप (मेट्रो)	सदस्य;
(x)	असम सरकार द्वारा नामित स्थानीय पर्यटन उद्योग का प्रतिनिधि	सदस्य;
(xi)	संभागीय वन अधिकारी, वन्यजीव संभाग, गुवाहाटी	सदस्य- सचिव

6.विचारार्थ विषय:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक होगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा।

(3) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति लेने के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएंगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट, राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, अनुलग्नक IV में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कार्य-कलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/4/2021-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

अनुलग्नक- I

असम राज्य में दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

पूर्व: जीपीएस बिंदु सं. 1 (91° 44' 59.976" पू एवं 26° 5' 51.980" उ) से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा जीपीएस बिंदु सं. 2 (91° 44' 21.024" पू, 26° 4' 37.445" उ) और 3 (91° 43' 38.269" पू, 26° 3' 46.246" उ) को पार करके विद्यमान मोटरेबल सड़क (लोखरा से गरभंगा तक) के साथ दक्षिण की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 4 (91° 43' 29.629" पू एवं 26° 2' 41.319" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.4 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 5 को पार करके गरभंगा रिज़र्व वन सीमा के साथ-साथ असम मेघालय अंतर-राज्यीय सीमा के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 6 (91° 43' 10.072" पू एवं 25° 59' 37.150" उ) से मिलती है।

दक्षिण: जीपीएस बिंदु सं. 6 (91° 43' 10.072" पू एवं 25° 59' 37.150" उ) से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा जीपीएस बिंदु सं. 7 (91° 41' 52.762" पू,25° 59' 19.475" उ), 8 (91° 40' 59.128" पू, 25° 59'16.668" उ), 9 (91° 39'

51.055" पू, 25° 58' 54.975" उ), 10(91° 39' 5.429" पू, 25° 58' 9.404" उ) को पार करके पश्चिम की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं.11 (91° 38' 19.071" पू एवं 25° 58' 1.800" उ से मिलती है।

पश्चिम: जीपीएस बिंदु सं.11 (91° 38' 19.071" पू एवं 25° 58' 1.800" उ) से सीमा जीपीएस बिंदु सं.12 (91° 37' 40.636" पू, 25° 58' 36.383" उ), 13 (91° 37' 47.677" पू,25° 59' 25.553" उ),14 (91° 37' 44.326" पू, 26° 0' 8.346" उ),15(91° 38' 4.536" पू, 26° 0' 46.375" उ) को पार करके गरभंगा रिज़र्व वन सीमा के साथ–साथ असम-मेघालय अंतर-राज्यीय सीमा के साथ उत्तर की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 16 (91° 37' 54.428" पू एवं 26° 1' 12.766" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.16 से सीमा रानी आर एफ सीमा के साथ उत्तर की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 17 (91° 38' 15.910" पू एवं 26° 1' 41.484" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.17 सीमा जीपीएस बिंदु सं. 18 (91° 37' 48.449" पू, 26° 2' 20.356" उ),19 (91° 37' 16.594" पू, 26° 2' 58.176" उ) को पार करके उत्तर की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 20 (91° 36' 59.467" पू एवं 26° 3' 29.830" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 20 से सीमा जीपीएस बिंदु सं.21 (91° 38' 4.572" पू, 26° 3' 33.544" उ), 22 (91° 38' 22.459" पू, 26° 3' 59.382" उ), 23 (91° 38' 5.220" पू, 26° 4' 15.568" उ), 24 (91° 37' 46.778" पू, 26° 4' 32.626" उ), 25 (91° 37' 3.484" पू, 26° 4' 18.592" उ), 26 (91° 36' 38.135" पू, 26° 4' 39.778" उ), 27 (91° 36' 59.846" पू, 26° 4' 46.212" उ), 28 (91° 37' 19.545" पू, 26° 5' 11.683" उ), 29 (91° 37' 3.071" पू, 26° 5' 39.146" उ), 30 (91° 37' 12.676" पू, 26° 5' 58.157" उ) को पार करके उत्तर की ओर रानी आर एफ सीमा के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 31 (91° 37' 16.179" पू 26° 6' 17.257" उ) से मिलती है जो कि रानी आर एफ सीमा पर स्थिति है। जीपीएस बिंदु सं. 31 से सीमा काल्पनिक रेखा के साथ उत्तर की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं.32 (91° 37' 13.117" पू एवं 26° 6' 29.466" उ) से मिलती है जीपीएस बिंदु सं. 32 से सीमा पश्चिम की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं 33 (91°37' 9.115" पू एवं 26°6'30.029" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 33 से सीमा पश्चिमी परिधि पर विद्यमान एन एच 37 राजमार्ग से 600 मीटर की दूरी में उत्तर की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 34 (91° 37' 13.583" पू एवं 26° 6' 58.093" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 34 से सीमा पश्चिम की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं.35 (91° 37' 6.440" पू एवं 26° 6' 58.909" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 35 से सीमा उक्त राजमार्ग के साथ 400 मीटर की दूरी में उत्तर की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं.36 (91° 37' 21.956" पू एवं 26° 7' 31.264" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.36 से सीमा पश्चिमी की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं.37 (91° 37' 16.070" पू एवं 26° 7' 35.008" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 37 से सीमा उक्त राजमार्ग से 200 मीटर की दूरी मे उत्तर की जाती है और जीपीएस बिंदु सं.38 (91° 37' 31.819" पू एवं 26° 7' 56.841" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 38 से सीमा पश्चिम की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं.39 (91° 37' 25.554" पू एवं 26° 8' 0.061" उ) से मिलती है।

उत्तर: जीपीएस बिंदु सं. 39 (91° 37' 25.554" पू एवं 26° 8' 0.061" उ) से सीमा एन एच 37 के साथ पूर्व की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 40 (91° 37' 50.269" पू एवं 26° 8' 14.035" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 40 से सीमा दक्षिण की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 41(91° 37' 49.355" पू एवं 26° 8' 7.574" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 41 से सीमा पूर्व की ओर राजमार्ग से 200 मीटर की दूरी में जाती है और जीपीएस बिंदु सं.42 (91° 38' 18.192" पू एवं 26° 8' 17.843" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.42 से सीमा नाला के साथ दक्षिण की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 43 (91° 38' 21.981" पू एवं 26° 8' 12.292" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 43 से सीमा पूर्व की ओर राजमार्ग से 400 मीटर की दूरी में जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 44 (91° 38' 37.316" पू एवं 26° 8' 18.889" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.44 से सीमा दक्षिण की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 45 (91° 38' 40.541" पू एवं 26° 8' 13.044" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 45 से सीमा पूर्व की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 46 (91° 38' 53.925" पू एवं 26° 8' 18.902" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 46 से सीमा पूर्व की ओर विद्यमान पी डब्ल्यू डी सड़क से 200 मीटर की दूरी में जाती है और जीपीएस बिंदु सं.47 (91° 39' 9.231" पू एवं 26° 8' 12.087" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 47 से सीमा दक्षिण की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 48 (91° 39' 12.384" पू एवं 26° 8' 6.245" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 48 से सीमा पूर्व की ओर उक्त पी डब्ल्यू डी सड़क से 400 मीटर की दूरी

में जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 49 (91° 39' 41.839" पू एवं 26° 8' 19.750" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 49 से सीमा उत्तर की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 50 (91° 39' 42.584" पू एवं 26° 8' 23.666" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 50 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 51 (91° 39' 48.284" पू, 26° 8' 23.466" उ), 52 (91° 39' 54.444" पू, 26° 8' 25.443" उ) को पार करके जाती है और जीपीएस बिंदु सं.53 (91° 40' 0.072" पू एवं 26° 8' 26.728" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 53 से सीमा सड़क के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 54 (91° 40' 5.778" पू एवं 26° 8' 22.711" उ) से मिलती है जीपीएस बिंदु सं. 54 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 55 (91° 39' 57.493" पू, 26° 8' 14.875" उ), 56 (91° 40' 1.145" पू, 26° 7' 58.199" उ), 57 (91° 40' 8.998" पू, 26° 7' 47.642" उ) को पार करके एन एफ रेलवे रेखा के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 58 (91° 40' 16.390" पू एवं 26° 7' 37.508" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 58 से सीमा जीपीएस बिंदु सं.59 (91° 40' 39.483" पू, 26° 7' 29.059" उ), 60 (91° 40' 54.697" पू, 26° 7' 11.380" उ) को पार करके पूर्व की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं.61 (91° 40' 55.686" पू एवं 26° 6' 55.065" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.61 से सीमा सड़क के साथ पूर्व की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 62 (91° 41' 5.117" पू एवं 26° 6' 53.248" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 62 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 63 को पार करके सड़क के साथ दक्षिण की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 64 (91° 41' 0.768" पू एवं 26° 6' 32.462" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.64 से सीमा पूर्व की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 65 (91° 41' 10.471" पू एवं 26° 6' 31.224" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.65 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 66 को पार करके दक्षिण की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं.67 (91° 41' 10.197" पू एवं 26° 6' 18.943" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.67 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 68 को पार करके मोरा नाला के साथ पश्चिम की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 69 (91° 40' 51.308" पू एवं 26° 6' 23.778" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.69 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 70 को पार करके दक्षिण की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 71 (91° 40' 26.534" पू एवं 26° 6' 14.470" उ) से मिलती है जो कि रानी आर एफ सीमा में स्थित है। जीपीएस बिंदु सं. 71 से सीमा रानी आर एफ सीमा के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं.72 (91° 39' 58.412" पू एवं 26° 6' 19.078" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 72 से सीमा जीपीएस बिंदु सं.73 (91° 39' 34.761" पू, 26° 5' 37.191" उ), 74(91° 40' 12.496" पू, 26° 5' 51.336" उ) को पार करके जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 75 (91° 40' 29.858" पू एवं 26° 6' 14.177" उ) से मिलती है जो कि रानी आर एफ सीमा में स्थित है। जीपीएस बिंदु सं. 75 से सीमा रानी आर एफ सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 76 (91° 40' 50.251" पू एवं 26° 6' 8.886" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं. 76 से सीमा जीपीएस बिंदु सं.77 को पार करके जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 78 (91° 42' 0.643" पू एवं 26° 5' 46.550" उ) से मिलती है जो कि रानी आर एफ सीमा में स्थित है। जीपीएस बिंदु सं. 78 से सीमा रानी आर एफ सीमा के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं. 79 (91° 42' 17.176" पू एवं 26° 5' 50.222" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.79 से सीमा जीपीएस बिंदु सं.80 (91° 42' 55.594" पू, 26° 5' 20.725" उ), 81 (91° 43' 9.608" पू, 26° 5' 36.845" उ) को पार करके जाती है और जीपीएस बिंदु सं.82 (91° 42' 51.380" पू एवं 26° 5' 57.752" उ) से मिलती है जो कि रानी आर एफ सीमा में स्थित है। जीपीएस बिंदु सं. 82 से सीमा जीपीएस बिंदु सं. 83 को पार करके रानी आरएफ के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं 84 (91° 43' 32.259" पू एवं 26° 5' 22.932" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.84 से सीमा जीपीएस बिंदु सं.85 को पार करके पूर्व की ओर जाती है और जीपीएस बिंदु सं.86 (91° 44' 13.412" पू एवं 26° 5' 34.017" उ) से मिलती है। जीपीएस बिंदु सं.86 से सीमा रानी आर एफ सीमा के साथ जाती है और जीपीएस बिंदु सं.1 (91° 44' 59.976" पू एवं 26° 5' 51.980" उ) से मिलती है।

अनुलग्नक- IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

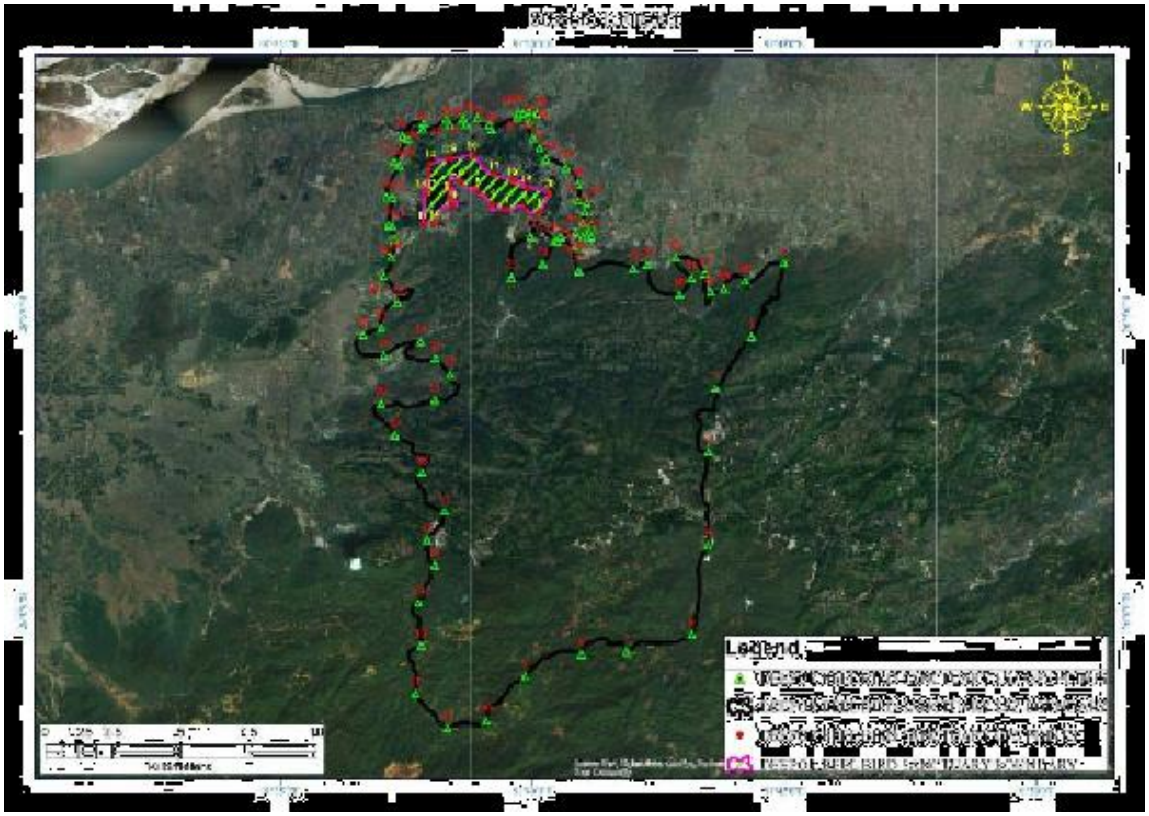

अनुलग्नक- IIख

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

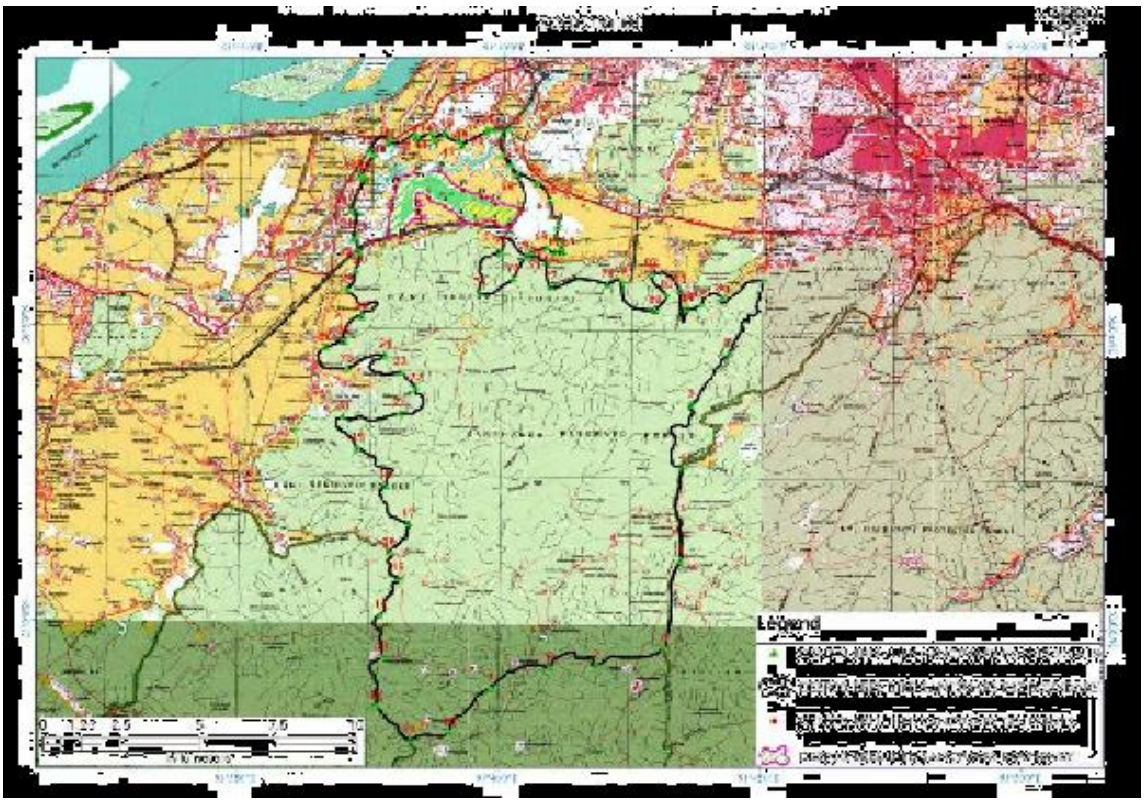

अनुलग्नक- III

सारणी क: दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	देशांतर	अक्षांश
1	91° 40' 8.900" पू	26° 6' 42.800"उ
2	91° 39' 51.752" पू	26° 6' 48.171"उ
3	91° 39' 28.155" पू	26° 6' 46.306"उ
4	91° 39' 12.046" पू	26° 6' 51.214"उ
5	91° 38' 54.568" पू	26° 7' 3.515"उ
6	91° 38' 34.992" पू	26° 7' 13.100"उ
7	91° 38' 21.780" पू	26° 7' 9.379"उ
8	91° 38' 22.746" पू	26° 6' 59.000"उ
9	91° 38' 25.403" पू	26° 6' 50.190"उ
10	91° 38' 5.100" पू	26° 6' 31.500"उ
11	91° 37' 49.100" पू	26° 6' 30.400"उ
12	91° 37' 53.202" पू	26° 7' 0.914"उ
13	91° 37' 57.044" पू	26° 7' 22.256"उ
14	91° 37' 58.300" पू	26° 7' 32.100"उ
15	91° 38' 22.057" पू	26° 7' 36.857"उ
16	91° 38' 48.000" पू	26° 7' 40.600"उ
17	91° 39' 14.723" पू	26° 7' 20.575"उ
18	91° 39' 36.520" पू	26° 7' 13.832"उ
19	91° 39' 52.613" पू	26° 7' 7.193"उ
20	91° 40' 20.400" पू	26° 7' 1.500"उ

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	देशांतर	अक्षांश	क्र.सं.	देशांतर	अक्षांश
1	91° 44' 59.976" पू	26° 5' 51.980"उ	44	91° 38' 37.316" पू	26° 8' 18.889"उ
2	91° 44' 21.024" पू	26° 4' 37.445"उ	45	91° 38' 40.541" पू	26° 8' 13.044"उ
3	91° 43' 38.269" पू	26° 3' 46.246"उ	46	91° 38' 53.925" पू	26° 8' 18.902"उ
4	91° 43' 29.629" पू	26° 2' 41.319"उ	47	91° 39' 9.231" पू	26° 8' 12.087"उ
5	91° 43' 28.520" पू	26° 1' 6.645"उ	48	91° 39' 12.384" पू	26° 8' 6.245"उ
6	91° 43' 10.072" पू	25° 59' 37.150"उ	49	91° 39' 41.839" पू	26° 8' 19.750"उ
7	91° 41' 52.762" पू	25° 59' 19.475"उ	50	91° 39' 42.584" पू	26° 8' 23.666"उ
8	91° 40' 59.128" पू	25° 59' 16.668"उ	51	91° 39' 48.284" पू	26° 8' 23.466"उ
9	91° 39' 51.055" पू	25° 58' 54.975"उ	52	91° 39' 54.444" पू	26° 8' 25.443"उ
10	91° 39' 5.429" पू	25° 58' 9.404"उ	53	91° 40' 0.072" पू	26° 8' 26.728"उ
11	91° 38' 19.071" पू	25° 58' 1.800"उ	54	91° 40' 5.778" पू	26° 8' 22.711"उ
12	91° 37' 40.636" पू	25° 58' 36.383"उ	55	91° 39' 57.493" पू	26° 8' 14.875"उ
13	91° 37' 47.677" पू	25° 59' 25.553"उ	56	91° 40' 1.145" पू	26° 7' 58.199"उ
14	91° 37' 44.326" पू	26° 0' 8.346"उ	57	91° 40' 8.998" पू	26° 7' 47.642"उ
15	91° 38' 4.536" पू	26° 0' 46.375"उ	58	91° 40' 16.390" पू	26° 7' 37.508"उ
16	91° 37' 54.428" पू	26° 1' 12.766"उ	59	91° 40' 39.483" पू	26° 7' 29.059"उ
17	91° 38' 15.910" पू	26° 1' 41.484"उ	60	91° 40' 54.697" पू	26° 7' 11.380"उ
18	91° 37' 48.449" पू	26° 2' 20.356"उ	61	91° 40' 55.686" पू	26° 6' 55.065"उ
19	91° 37' 16.594" पू	26° 2' 58.176"उ	62	91° 41' 5.117" पू	26° 6' 53.248"उ
20	91° 36' 59.467" पू	26° 3' 29.830"उ	63	91° 41' 2.907" पू	26° 6' 44.131"उ
21	91° 38' 4.572" पू	26° 3' 33.544"उ	64	91° 41' 0.768" पू	26° 6' 32.462"उ
22	91° 38' 22.459" पू	26° 3' 59.382"उ	65	91° 41' 10.471" पू	26° 6' 31.224"उ
23	91° 38' 5.220" पू	26° 4' 15.568"उ	66	91° 41' 7.944" पू	26° 6' 24.243"उ
24	91° 37' 46.778" पू	26° 4' 32.626"उ	67	91° 41' 10.197" पू	26° 6' 18.943"उ
25	91° 37' 3.484" पू	26° 4' 18.592"उ	68	91° 41' 0.787" पू	26° 6' 19.298"उ
26	91° 36' 38.135" पू	26° 4' 39.778"उ	69	91° 40' 51.308" पू	26° 6' 23.778"उ
27	91° 36' 59.846" पू	26° 4' 46.212"उ	70	91° 40' 33.367" पू	26° 6' 18.964"उ
28	91° 37' 19.545" पू	26° 5' 11.683"उ	71	91° 40' 26.534" पू	26° 6' 14.470"उ
29	91° 37' 3.071" पू	26° 5' 39.146"उ	72	91° 39' 58.412" पू	26° 6' 19.078"उ
30	91° 37' 12.676" पू	26° 5' 58.157"उ	73	91° 39' 34.761" पू	26° 5' 37.191"उ
31	91° 37' 16.179" पू	26° 6' 17.257"उ	74	91° 40' 12.496" पू	26° 5' 51.336"उ
32	91° 37' 13.117" पू	26° 6' 29.466"उ	75	91° 40' 29.858" पू	26° 6' 14.177"उ
33	91° 37' 9.115" पू	26° 6' 30.029"उ	76	91° 40' 50.251" पू	26° 6' 8.886"उ
34	91° 37' 13.583" पू	26° 6' 58.093"उ	77	91° 40' 55.671" पू	26° 5' 44.026"उ
35	91° 37' 6.440" पू	26° 6' 58.909"उ	78	91° 42' 0.643" पू	26° 5' 46.550"उ
36	91° 37' 21.956" पू	26° 7' 31.264"उ	79	91° 42' 17.176" पू	26° 5' 50.222"उ
37	91° 37' 16.070" पू	26° 7' 35.008"उ	80	91° 42' 55.594" पू	26° 5' 20.725"उ
38	91° 37' 31.819" पू	26° 7' 56.841"उ	81	91° 43' 9.608" पू	26° 5' 36.845"उ
39	91° 37' 25.554" पू	26° 8' 0.061"उ	82	91° 42' 51.380" पू	26° 5' 57.752"उ
40	91° 37' 50.269" पू	26° 8' 14.035"उ	83	91° 43' 25.088" पू	26° 5' 41.340"उ
41	91° 37' 49.355" पू	26° 8' 7.574"उ	84	91° 43' 32.259" पू	26° 5' 22.932"उ
42	91° 38' 18.192" पू	26° 8' 17.843"उ	85	91° 43' 48.930" पू	26° 5' 26.636"उ
43	91° 38' 21.981" पू	26° 8' 12.292"उ	86	91° 44' 13.412" पू	26° 5' 34.017"उ

अनुलग्नक-IV

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र - पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक अनुलग्नक में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार(पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण अनुलग्नक के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2021

S.O.3494(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Deepar Beel Wildlife Sanctuary located in the south–western side of Guwahati city in Kamrup (Metropolitan) district of Assam and the only Ramsar site in the State, is one of the largest fresh water lakes of Assam, which extends up to 30 square kilometer in the summer and reduces to about 10 square kilometer in the winter, of which an area of 4.1 square kilometer has been notified as Wildlife Sanctuary as per the Govt. Notification no. FRM.140/2005/260, dated 21st February, 2009;

AND WHEREAS, the wetland of Deepar Beel constitutes a unique habitat for aquatic flora and avian fauna. About 150 species of birds have been recorded in the Sanctuary, out of that two critically endangered, one endangered, five vulnerable and four near threatened species are found in the Beel. Elephants regularly visit the wetland from adjoining Rani and Garhbhanda Reserved Forest and the wetland is integral part of the elephant habitat. Besides these, 12 species of reptiles, 50 species of fishes, 6 species of amphibian along with 155 species of aquatic macro-biota, etc. have been recorded in the Sanctuary;

AND WHEREAS, the Deepar Beel Wildlife Sanctuary being adjacent to the fast developing Guwahati city, the Deepar Beel is facing immense biotic pressure by way of human settlements and even increasing development activities. City wastes as well as industrial effluents causing serious problem to the ecological and environmental values of the rich wetland that create threat to all life forms and ecosystems in the Deepar Beel. The Guwahati–Gopalpara railway track that passes on the south of the Wildlife sanctuary and degradation of the watershed areas of Deepar Beel also impact adversely the water body. Human settlement, various ongoing developmental activities all

around the Beel and destruction of habitat in the watershed areas pose a serious threat in maintaining the natural environmental status of this important wetland called the Deepar Beel.

AND WHEREAS, the mammals species available in the Deepar Beel Wildlife Sanctuary are Himalayan hoary bellied squirrel (*Callosciurus pygerythrus),* house shrew (*Suncus murinus*), pigmy shrew (*Suncus etruscus*), large bandicota-rat (*Bandicota indica*), lesser bandicota-rat (*Bandicota bengalensis*), black rat (*Rattus rattus*), Chinese procupine (*Hystrix brachyura*), Indian hare (*Lepus nigricollis*), Indian elephant (*Elephas maximus*), barking deer (*Muntiacus muntjak*), sambar (*Cervus unicolor*), Indian flying fox (*Pteropus gigenteus*), long-winged tom bat (*Taphozous longimanus*), Rhesus macaque (*Macaca mulatta*), Asiatic jackel (*Canis aureus*), common otter (*Lutra lutra*), large Indian civet (*Viverra zibetha*), small Indian civet (*Viverricula indica*), Indian mongoose (*Herpestes javanicus*), etc;

AND WHEREAS, the threatened avifauna recorded from the Deepar Beel Wildlife Sanctuary are whiterumped vulture (*Gyps bengalensis),* longbilled vulture (*G. indicus),* greater adjutant (*Leptoptilos dubius),* spotbilled pelican (*Pelecanus philippensis),* lesser adjutant stork (*Leptoptilos javanicus),* Pallas's sea eagle (*Haliaeetus leucorphus),* Fulvous whistling teal (*Dendrocygna bicolor),* Baer's pochard (*Aythya baeri),* Marsh babbler (*Pellorneum plaustre),* spoonbilled sandpiper (*Eurynorhynchus pygmeus),* oriental darter (*Anhinga melanogaster),* black-necked stork (*Ephippiorhynchus asiaticus),* Ferrugineous duck (*Aythya nyroca),* grey headed fish eagle (*Ichthyophaga ichthyaetus),* red headed vulture (*Sarcogyps calvus),* pallid harrier (*Circus macrourus),* black-bellied tern (*Sterna acuticauda),* red-headed vulture (*Sarcogyps calvus),* etc; while endangered reptiles of the Sanctuary are Burmese python (*Python molurus bivittatus),* yellow monitor lizard (*Varanus flavescens),* Indian roofed turtle (*Kachuga tecta),* Khasi hill terrapin (*K. (Pangshura) sylhetensis),* spotted black (pond) turtle (*Geoclemys hamiltoni),* Indian mud (flapshell) turtle (*Lissemys punctata),* peacock softshell turtle (*Trionix (Nilssonia) hurum),* Ganges (Indian) soft-shell turtle (*Trinix gangeticus),* etc;

AND WHEREAS, the major amphibians found in the Deepar Beel Wildlife Sanctuary are *Hylarana tytlery, Hylarana taipehensis, Haplobtrachus tigerina, Euphlyctis syanophylectes, Sylvirana leptoglosus, Fejervaraya pierrei, F. syhadrensis, F. terai Mycrohyla ornate, Polypedatus leucomystes, Buffo (Duttaphrynus) melanostictus,* etc. while important threatened fish species available in the Sanctuary are bhangon (*Cirrhinus reba*), phul dorikona (zebra fish) (*Brachidania rario*), vedhengi/vetki fish (*Nandus nandus*), aleng (*Rasbora alenga*), rukmoi chenga (*Channa barca*), pabha (*Ompok bimaculatus*), pabha (*Ompok pabda*), botia (*Botia dari*), etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Deepar Beel Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 294 metres to 16.32 kilometres around the boundary of Deepar Beel Wildlife Sanctuary, in Kamrup (Metropolitan) District in the State of Assam as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of the Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 294 metres to 16.32 kilometres around the boundary of Deepar Beel Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 148.9767 square kilometres.

   (2) The boundary description of Deepar Beel Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

   (3) The maps of the Deepar Beel Wildlife Sanctuary demarcating the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA** and **Annexure-IIB.**

   (4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Deepar Beel Wildlife Sanctuary and the Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

   (5) There has no village within the Eco-sensitive Zone of Deepar Beel Wildlife Sanctuary**.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

   (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Tourism;

(iv) Agriculture;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Public Works Department;

(viii) Urban Development;

(ix) Rural Development;

(x) Water resource Department;

(xi) Irrigation;

(xii) Horticulture,

(xiii) Panchayati Raj; and

(xiv) Assam State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;

(b) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying, soil excavation, sand mining and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills; veneer mills or other, wood based industries.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone. Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-Sensitive using 100% imported wood stock.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities.	Regulated as per the applicable laws.

11.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws.
12.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables, transmission lines and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Change of agriculture system.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Security forces camp or army establishment.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms,	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable

	corporate and companies.	laws except for meeting local needs.
25.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
26.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
32.	Open Well, Borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
33.	Fishing in rivers and natural water bodies.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
34.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
35.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws.
36.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
37.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
38.	Vegetative fencing.	Shall be actively promoted.
39.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
40.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
41.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
42.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
43.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
44.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
45.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.
46.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	**Constituent of the Monitoring Committee**	**Designation**
(i)	Deputy Commissioner, Kamrup (Metro)	Chairman, ex officio;
(ii)	Divisional Forest Officer, Kamrup (East)	Member;

(iii)	Representative of Non-Governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Assam	Member;
(iv)	Representative of Guwahati Municipal Corporation	Member;
(v)	Regional Officer, Assam State Pollution Control Kamrup (Metro)	Member;
(vi)	Senior Town Planner of the area	Member;
(vii)	District Industries Officer, Kamrup (Metro)	Member;
(viii)	District Agriculture Officer, Kamrup (Metro)	Member;
(ix)	District Fishery Officer, Kamrup (Metro)	Member;
(x)	Representative of local Tourism Industry, to be nominated by the Government of Assam	Member;
(xi)	Divisional Forest Officer, Wildlife Division, Guwahati	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders of Supreme Court, etc.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/4/2021-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND DEEPAR BEEL WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE ASSAM

East: From GPS Point No. 1 (91° 44' 59.976" E & 26° 5' 51.980" N) the ESZ boundary run towards south along the existing motorable road (from Lokhra to Garbhanga) road across GPS Point No. 2 (91° 44' 21.024" E, 26° 4' 37.445" N) and 3 (91° 43' 38.269" E, 26° 3' 46.246" N) and meets the GPS Point No. 4 (91° 43' 29.629" E & 26° 2' 41.319" N). From GPS Point No. 4 the boundary runs along Assam-Meghalaya inter State boundary as well as Garbhanga Reserve Forest boundary crossing GPS point No. 5 and meets the GPS Point No.6 (91° 43' 10.072" E & 25° 59' 37.150" N).

South: From GPS Point No.6 (91° 43' 10.072" E & 25° 59' 37.150" N) the ESZ boundary runs towards west crossing GPS Point No. 7 (91° 41' 52.762" E**,**25° 59' 19.475" N), 8 (91° 40' 59.128" E, 25° 59'16.668" N), 9 (91° 39' 51.055" E, 25° 58' 54.975" N), 10(91° 39' 5.429" E, 25° 58' 9.404" N) and meetsthe GPS Point No. 11 (91° 38' 19.071" E & 25° 58' 1.800" N).

West: From GPS Point No. 11 (91° 38' 19.071" E & 25° 58' 1.800" N) the boundary runs towards north along Assam-Meghalaya Inter State boundary as well as Garbhanga RF bundary crossing GPS point No. 12 (91° 37' 40.636" E, 25° 58' 36.383" N), 13 (91° 37' 47.677" E,25° 59' 25.553" N),14 (91° 37' 44.326" E, 26° 0' 8.346" N),15(91° 38' 4.536" E, 26° 0' 46.375" N) and meets the GPS Point No.16 (91° 37' 54.428" E & 26° 1' 12.766" N). From GPS Point No. 16 the boundary runs towards north along the Rani RF boundary and meets GPS Point No. 17 (91° 38' 15.910" E & 26° 1' 41.484" N). From GPS Point No. 17 the boundary runs towards north crossing GPS Point No. 18 (91° 37' 48.449" E, 26° 2' 20.356" N),19 (91° 37' 16.594" E, 26° 2' 58.176" N) and meets the GPS Point No. 20 (91° 36' 59.467" E & 26° 3' 29.830" N). From GPS Point No.20 the boundary runs along the Rani RF boundary towards north crossing GPS Point No. 21 (91° 38' 4.572" E, 26° 3' 33.544" N), 22 (91° 38' 22.459" E, 26° 3' 59.382" N), 23 (91° 38' 5.220" E, 26° 4' 15.568" N), 24 (91° 37' 46.778" E, 26° 4' 32.626" N), 25 (91° 37' 3.484" E, 26° 4' 18.592" N), 26 (91° 36' 38.135" E, 26° 4' 39.778" N), 27 (91° 36' 59.846" E, 26° 4' 46.212" N), 28 (91° 37' 19.545" E, 26° 5' 11.683" N), 29 (91° 37' 3.071" E, 26° 5' 39.146" N), 30 (91° 37' 12.676" E, 26° 5' 58.157" N) and meets GPS Point No. 31 (91° 37' 16.179" E 26° 6' 17.257" N) which lies on the Rani RF boundary. From GPS Point No. 31 the boundary runs towards north along an imaginary line and meets GPS Point No.32 (91° 37' 13.117" E & 26° 6' 29.466" N). From GPS Point No. 32 the boundary runs toward west and meets GPS Point No.33 (91°37' 9.115" E & 26°6'30.`029" N). From GPS Point No.33 the boundary runs towards north at a distance of 600 m from the existing NH37 highway on the western periphery, and meets GPS Point No.34 (91° 37' 13.583" E & 26° 6' 58.093" N). From GPS Point No.34 the boundary runs towards west and meets GPS Point No. 35 (91° 37' 6.440" E & 26° 6' 58.909" N). From GPS Point No. 35 the boundary runs towards north at a distance of 400m along the said highway, and meets GPS Point No.36 (91° 37' 21.956" E & 26° 7' 31.264" N). From GPS Point No. 36 the boundary runs towards west and meets GPS Point No.37 (91° 37' 16.070" E & 26° 7' 35.008" N). From GPS Point No.37 the boundary runs towards north at a distance of 200m from the said highway, and meets GPS Point No.38 (91° 37' 31.819" E & 26° 7' 56.841" N). From GPS Point No. 38 the boundary runs towards west and meets GPS Point No.39 (91° 37' 25.554" E & 26° 8' 0.061" N).

North: From GPS Point No.39 (91° 37' 25.554" E & 26° 8' 0.061" N) the boundary runs towards east along the NH 37 and meets GPS Point No.40 (91° 37' 50.269" E &26° 8' 14.035" N). From GPS Point No.40 the boundary runs towards south and meets GPS Point No. 41(91° 37' 49.355" E & 26° 8' 7.574" N). From GPS Point No.41 the boundary runs at a distance of 200m from the highway towards east and meets GPS Point No.42 (91° 38' 18.192" E & 26° 8' 17.843" N). From GPS Point No. 42 the boundary runs towards south along Nala and meets GPS Point No.43 (91° 38' 21.981" E & 26° 8' 12.292" N). From GPS Point No.43 the boundary runs at a distance of 400m from the highway, towards east and meets GPS Point No. 44 (91° 38' 37.316" E & 26° 8' 18.889" N). From GPS Point No. 44 the boundary runs towards south and meets GPS Point No. 45 (91° 38' 40.541" E & 26° 8' 13.044" N). From GPS Point No. 45 the boundary runs towards

east and meets GPS Point No. 46 (91° 38' 53.925" E & 26° 8' 18.902" N). From GPS Point No. 46 the boundary runs at a distance of 200m from the existing PWD road towards east and meets GPS Point No.47 (91° 39' 9.231" E & 26° 8' 12.087" N). From GPS point No. 47 the boundary runs towards south and meets GPS point No. 48 (91° 39' 12.384" E & 26° 8' 6.245" N). From GPS point No. 48 the boundary runs at a distance of 400m from the said PWD road towards east and meets GPS Point No. 49 (91° 39' 41.839" E &26° 8' 19.750" N). From GPS Point No. 49 the boundary runs towards north and meets GPS point No. 50 (91° 39' 42.584" E & 26° 8' 23.666" N). From GPS Point No. 50 the boundary runs crossing the GPS Point No. 51 (91° 39' 48.284" E, 26° 8' 23.466" N), 52 (91° 39' 54.444" E, 26° 8' 25.443" N) and meets GPS Point No. 53 (91° 40' 0.072" E & 26° 8' 26.728" N). From GPS point No. 53 the boundary runs along the road and meets GPS point No. 54 (91° 40' 5.778" E & 26° 8' 22.711" N). From GPS point No. 54 the boundary runs along the N.F. Railway line crossing GPS Point No. 55 (91° 39' 57.493" E, 26° 8' 14.875" N), 56 (91° 40' 1.145" E, 26° 7' 58.199" N), 57 (91° 40' 8.998" E, 26° 7' 47.642" N) and meets GPS Point No. 58 (91° 40' 16.390" E & 26° 7' 37.508" N). From GPS Point No. 58 the boundary runs towards east crossing GPS Point No. 59 (91° 40' 39.483" E, 26° 7' 29.059" N), 60 (91° 40' 54.697" E, 26° 7' 11.380" N) and meets GPS Point No. 61 (91° 40' 55.686" E & 26° 6' 55.065" N). From GPS point No.61 the boundary runs towards east along the road and meets GPS Point No.62 (91° 41' 5.117" E & 26° 6' 53.248" N). From GPS Point No.62 the boundary runs towards south along the road crossing GPS point No. 63 and meets GPS Point No.64 (91° 41' 0.768" E & 26° 6' 32.462" N). From GPS Point No 64 the boundary runs towards east and meets GPS Point No.65 (91° 41' 10.471" E & 26° 6' 31.224" N). From GPS Point No.65 the boundary runs towards south crossing the GPS Point No. 66 and meets GPS Point No.67 (91° 41' 10.197" E & 26° 6' 18.943" N). From GPS Point No.67 the boundary runs towards west along the Mora Nala crossing GPS Point No. 68 and meets GPS Point No.69 (91° 40' 51.308" E & 26° 6' 23.778" N). From GPS Point No 69 the boundary runs towards south crossing GPS Point No. 70 and meets GPS Point No. 71 (91° 40' 26.534" E& 26° 6' 14.470" N) which is located at Rani RF boundary. From GPS Point No. 71 the boundary runs along the Rani RF boundary and meets GPS Point No. 72 (91° 39' 58.412" E & 26° 6' 19.078" N). From GPS Point No. 72 the boundary runs crossing the GPS Point No. 73 (91° 39' 34.761" E, 26° 5' 37.191" N), 74(91° 40' 12.496" E, 26° 5' 51.336" N) and meets GPS Point No.75 (91° 40' 29.858" E & 26° 6' 14.177" N) which is located at Rani RF boundary. From GPS Point No. 75 the boundary runs towards east along the Rani RF Boundary and meets GPS Point No.76 (91° 40' 50.251" E & 26° 6' 8.886" N). From GPS Point No. 76 the boundary runs crossing GPS Point No. 77 and meets GPS Point No.78 (91° 42' 0.643" E & 26° 5' 46.550" N) which is located at Rani RF boundary. From GPS Point No. 78 the boundary run along the Rani RF boundary and meets GPS Point No. 79 (91° 42' 17.176" E & 26° 5' 50.222" N). From GPS Point No. 79 the boundary runs crossing the GPS Point No. 80 (91° 42' 55.594" E, 26° 5' 20.725" N), 81 (91° 43' 9.608" E, 26° 5' 36.845" N) and meets GPS point No. 82 (91° 42' 51.380" E & 26° 5' 57.752" N) which is located at Rani RF boundary. From GPS Point No. 82 the boundary runs along the Rani RF crossing GPS Point No. 83 and meets the GPS Point No.84 (91° 43' 32.259" E & 26° 5' 22.932" N). From GPS Point No. 84 the boundary runs towards east crossing GPS Point No. 85 and meets GPS Point No. 86 (91° 44' 13.412" E & 26° 5' 34.017" N). From GPS Point No. 86 the boundary runs along the Rani RF boundary and meets GPS Point No. 1 (91° 44' 59.976" E & 26° 5' 51.980" N).

ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF DEEPAR BEEL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

SCALE: 1:100,000

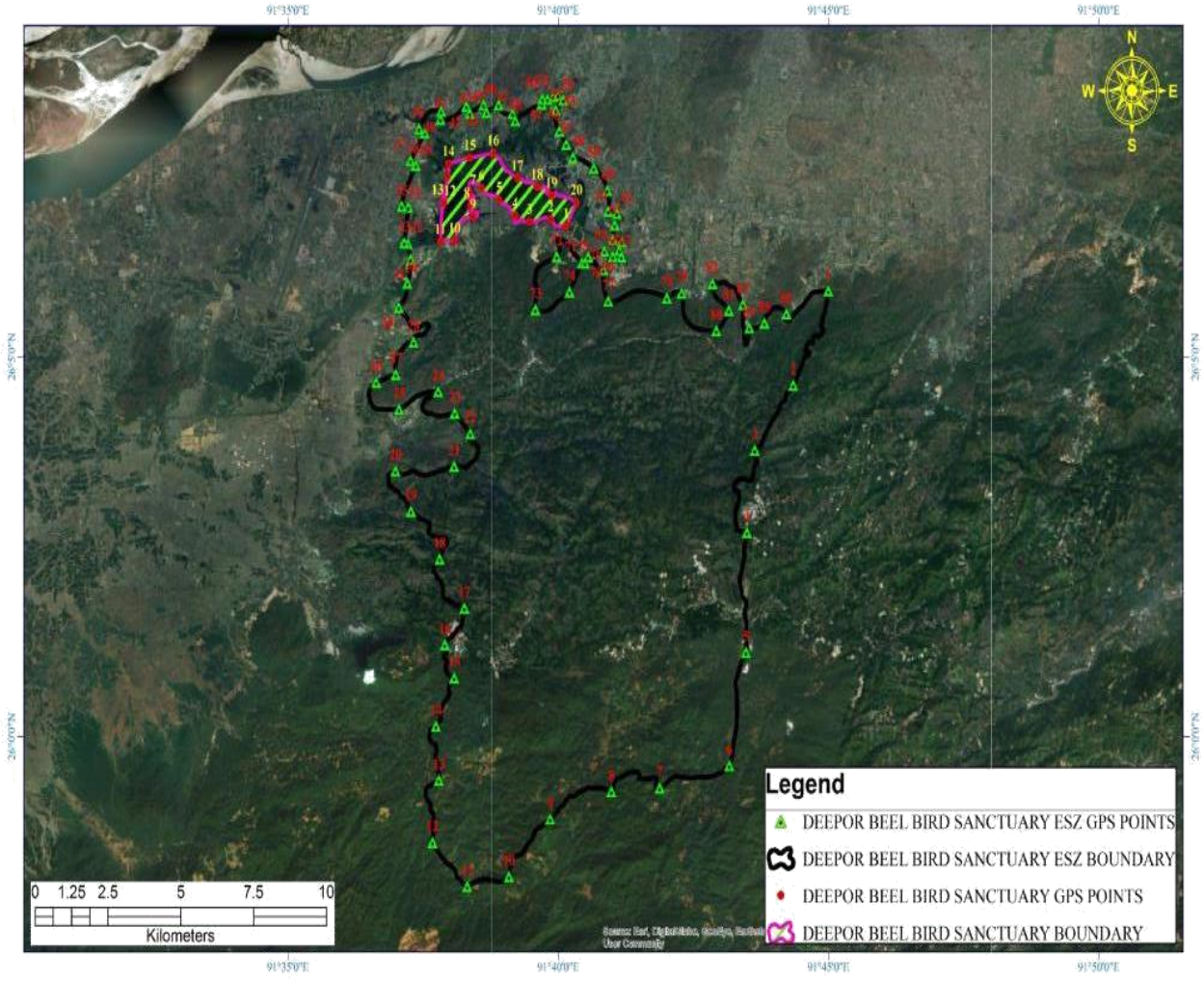

ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF DEEPAR BEEL ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

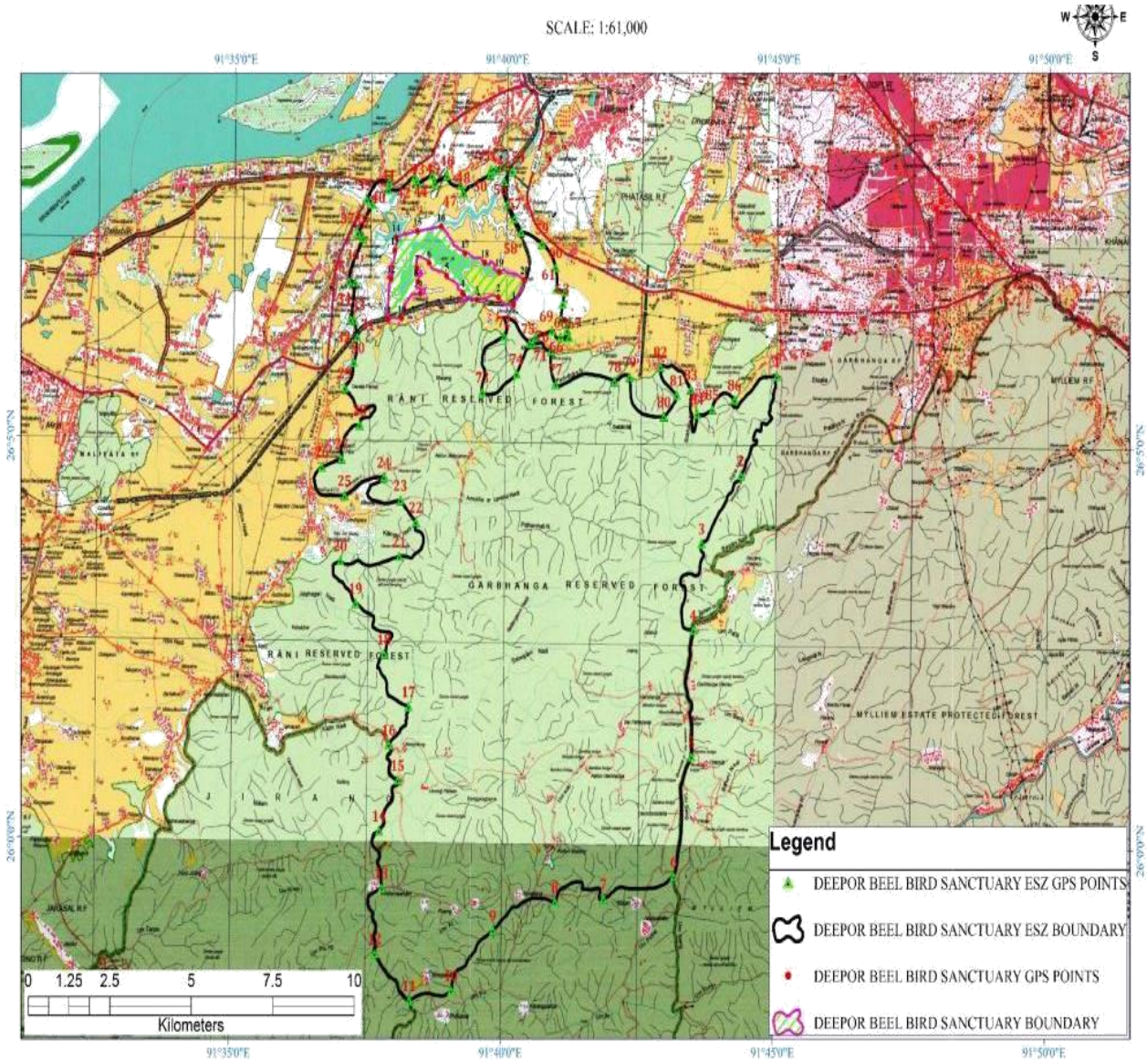

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF DEEPAR BEEL WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	Longitude	Latitude
1	91° 40' 8.900" E	26° 6' 42.800" N
2	91° 39' 51.752" E	26° 6' 48.171" N
3	91° 39' 28.155" E	26° 6' 46.306" N
4	91° 39' 12.046" E	26° 6' 51.214" N
5	91° 38' 54.568" E	26° 7' 3.515" N
6	91° 38' 34.992" E	26° 7' 13.100" N
7	91° 38' 21.780" E	26° 7' 9.379" N
8	91° 38' 22.746" E	26° 6' 59.000" N
9	91° 38' 25.403" E	26° 6' 50.190" N
10	91° 38' 5.100" E	26° 6' 31.500" N
11	91° 37' 49.100" E	26° 6' 30.400" N
12	91° 37' 53.202" E	26° 7' 0.914" N
13	91° 37' 57.044" E	26° 7' 22.256" N
14	91° 37' 58.300" E	26° 7' 32.100" N
15	91° 38' 22.057" E	26° 7' 36.857" N
16	91° 38' 48.000" E	26° 7' 40.600" N
17	91° 39' 14.723" E	26° 7' 20.575" N
18	91° 39' 36.520" E	26° 7' 13.832" N
19	91° 39' 52.613" E	26° 7' 7.193" N
20	91° 40' 20.400" E	26° 7' 1.500" N

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	LONGITUDE	LATITUDE	Sl. No.	LONGITUDE	LATITUDE
1	91° 44' 59.976" E	26° 5' 51.980" N	44	91° 38' 37.316" E	26° 8' 18.889" N
2	91° 44' 21.024" E	26° 4' 37.445" N	45	91° 38' 40.541" E	26° 8' 13.044" N
3	91° 43' 38.269" E	26° 3' 46.246" N	46	91° 38' 53.925" E	26° 8' 18.902" N
4	91° 43' 29.629" E	26° 2' 41.319" N	47	91° 39' 9.231" E	26° 8' 12.087" N
5	91° 43' 28.520" E	26° 1' 6.645" N	48	91° 39' 12.384" E	26° 8' 6.245" N
6	91° 43' 10.072" E	25° 59' 37.150" N	49	91° 39' 41.839" E	26° 8' 19.750" N
7	91° 41' 52.762" E	25° 59' 19.475" N	50	91° 39' 42.584" E	26° 8' 23.666" N
8	91° 40' 59.128" E	25° 59' 16.668" N	51	91° 39' 48.284" E	26° 8' 23.466" N
9	91° 39' 51.055" E	25° 58' 54.975" N	52	91° 39' 54.444" E	26° 8' 25.443" N
10	91° 39' 5.429" E	25° 58' 9.404" N	53	91° 40' 0.072" E	26° 8' 26.728" N
11	91° 38' 19.071" E	25° 58' 1.800" N	54	91° 40' 5.778" E	26° 8' 22.711" N
12	91° 37' 40.636" E	25° 58' 36.383" N	55	91° 39' 57.493" E	26° 8' 14.875" N
13	91° 37' 47.677" E	25° 59' 25.553" N	56	91° 40' 1.145" E	26° 7' 58.199" N
14	91° 37' 44.326" E	26° 0' 8.346" N	57	91° 40' 8.998" E	26° 7' 47.642" N
15	91° 38' 4.536" E	26° 0' 46.375" N	58	91° 40' 16.390" E	26° 7' 37.508" N
16	91° 37' 54.428" E	26° 1' 12.766" N	59	91° 40' 39.483" E	26° 7' 29.059" N
17	91° 38' 15.910" E	26° 1' 41.484" N	60	91° 40' 54.697" E	26° 7' 11.380" N
18	91° 37' 48.449" E	26° 2' 20.356" N	61	91° 40' 55.686" E	26° 6' 55.065" N
19	91° 37' 16.594" E	26° 2' 58.176" N	62	91° 41' 5.117" E	26° 6' 53.248" N
20	91° 36' 59.467" E	26° 3' 29.830" N	63	91° 41' 2.907" E	26° 6' 44.131" N
21	91° 38' 4.572" E	26° 3' 33.544" N	64	91° 41' 0.768" E	26° 6' 32.462" N
22	91° 38' 22.459" E	26° 3' 59.382" N	65	91° 41' 10.471" E	26° 6' 31.224" N
23	91° 38' 5.220" E	26° 4' 15.568" N	66	91° 41' 7.944" E	26° 6' 24.243" N
24	91° 37' 46.778" E	26° 4' 32.626" N	67	91° 41' 10.197" E	26° 6' 18.943" N
25	91° 37' 3.484" E	26° 4' 18.592" N	68	91° 41' 0.787" E	26° 6' 19.298" N
26	91° 36' 38.135" E	26° 4' 39.778" N	69	91° 40' 51.308" E	26° 6' 23.778" N
27	91° 36' 59.846" E	26° 4' 46.212" N	70	91° 40' 33.367" E	26° 6' 18.964" N
28	91° 37' 19.545" E	26° 5' 11.683" N	71	91° 40' 26.534" E	26° 6' 14.470" N
29	91° 37' 3.071" E	26° 5' 39.146" N	72	91° 39' 58.412" E	26° 6' 19.078" N
30	91° 37' 12.676" E	26° 5' 58.157" N	73	91° 39' 34.761" E	26° 5' 37.191" N
31	91° 37' 16.179" E	26° 6' 17.257" N	74	91° 40' 12.496" E	26° 5' 51.336" N
32	91° 37' 13.117" E	26° 6' 29.466" N	75	91° 40' 29.858" E	26° 6' 14.177" N
33	91° 37' 9.115" E	26° 6' 30.029" N	76	91° 40' 50.251" E	26° 6' 8.886" N
34	91° 37' 13.583" E	26° 6' 58.093" N	77	91° 40' 55.671" E	26° 5' 44.026" N
35	91° 37' 6.440" E	26° 6' 58.909" N	78	91° 42' 0.643" E	26° 5' 46.550" N
36	91° 37' 21.956" E	26° 7' 31.264" N	79	91° 42' 17.176" E	26° 5' 50.222" N
37	91° 37' 16.070" E	26° 7' 35.008" N	80	91° 42' 55.594" E	26° 5' 20.725" N
38	91° 37' 31.819" E	26° 7' 56.841" N	81	91° 43' 9.608" E	26° 5' 36.845" N
39	91° 37' 25.554" E	26° 8' 0.061" N	82	91° 42' 51.380" E	26° 5' 57.752" N
40	91° 37' 50.269" E	26° 8' 14.035" N	83	91° 43' 25.088" E	26° 5' 41.340" N
41	91° 37' 49.355" E	26° 8' 7.574" N	84	91° 43' 32.259" E	26° 5' 22.932" N
42	91° 38' 18.192" E	26° 8' 17.843" N	85	91° 43' 48.930" E	26° 5' 26.636" N
43	91° 38' 21.981" E	26° 8' 12.292" N	86	91° 44' 13.412" E	26° 5' 34.017" N

ANNEXURE –VI

Performa of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone Monitoring Committee

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.08.26 16:31:08 +05'30'